

an>

Title: Regarding Matters Under Rule 377

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा प
रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति
दी गई है, जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामल
का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभ
पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीत
सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।